

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर0ए0एस0 )  
वाद सं0 : 933 सन 2024  
अनवान :-

1. भागाराम पुत्र तुलछाराम जाति खाती निवासी कानसर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. दलीप पुत्र तुलछाराम जाति खाती निवासी कानसर तहसील नोहर।
3. राजाराम पुत्र तुलछाराम जाति खाती निवासी कानसर तहसील नोहर।
4. शंकरलाल पुत्र तुलछाराम जाति खाती निवासी कानसर तहसील नोहर।
5. प्रमेश्वरी पत्नि तुलछाराम जाति खाती निवासी कानसर तहसील नोहर।
6. बिमला पुत्री तुलछाराम जाति खाती निवासी कानसर तहसील नोहर।
7. सुमित्रा पुत्री तुलछाराम जाति खाती निवासी कानसर तहसील नोहर।
8. सरस्वती पुत्री तुलछाराम जाति खाती निवासी कानसर तहसील नोहर।
9. सोनादेवी पुत्री तुलछाराम जाति खाती निवासी कानसर तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी  
निर्णय दिनांक :- 28/10/2024


वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया की रोही मोजा कानसर के साबिका खसरा न0 126 की 25.00 बीधा व खसरा न0 240 की 19.00 बीधा भूमि वादीगण के पिता तुलछाराम वल्द आदुराम को दिनांक 26.09.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता तुलछाराम वल्द आदुराम के कब्जा काश्त में रही थी एव वादी के पिता तुलछाराम वल्द आदुराम के देहान्त होने पर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा कानसर के साबिका खसरा न0 240 की 25.00 बीधा भूमि वादीगण के पूर्वज आदु वल्द टीकु के सम्वत 2012 से पूर्व से कब्जा काश्त में चली आ रही थी जो लगातार कब्जा काश्त में रहने के बाद आदु वल्द टीकु के पुत्र तुलछाराम वल्द आदुराम को आवंटन की गई थी।

भू-प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश रोही मोजा कानसर के साबिका खसरा न0 126 की 25.00 बीधा के हाल खसरा न0 1209 की 25.00 बीधा व साबिका खसरा न0 240 की हाल खसरा न0 1277 की 19.00 बीधा भूमि में परिवर्तन/पैमुद किया गया है जो हाल राजस्व रिकार्ड में हैक्टयर में परिवर्तन कर खसरा न0 1209 की 6.3230 हैक्ट व खसरा न0 1277 की 3.2240 है में पैमुद किये जा चुके है

आदु वल्द टीकु व आवटित तुलछाराम वल्द आदुराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 है जिनके वादी के पिता तुलछाराम को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में तुलछाराम वल्द आदुराम के वारिस की हैसियत से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के नाम विरास्तन से दर्ज भी हो चुकी है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज चली आ रही है।

रोही मोजा कानसर के साबिका खसरा न0 126 ,240 की भूमि को दिनांक 26.09.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादीगण के पूर्वज आदुराम वल्द टीकु व तुलछाराम वल्द आदुराम के कब्जा काश्त में रही है वाद फोटदगी आदुराम व तुलछाराम वल्द आदुराम

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

उसके वारिसान वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज के कब्जा काश्त में चली आ रही है

वादी के पिता तुलछाराम को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षों बाद ही वादी के पिता तुलछाराम वल्द आदुराम नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी तुलछाराम के देहान्त होने पर उनके वारिसान वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 792/773 के खसरा न0 1209 की 6.3230हैक् व खसरा न0 1277 की 3.2240हैक् भूमि का वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 792/773 के खसरा न0 1209 की 6.3230हैक् व खसरा न0 1277 की 3.2240हैक् भूमि जो वादी के पिता तुलछाराम वल्द आदुराम को दिनांक 29.09.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता तुलछाराम वल्द आदुराम के नाम व कब्जा काश्त में रही थी एवं वादी के पिता तुलछाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 जरिये अधिवक्त न्यायालय में उपस्थित आकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 की और से परोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बन्ध में जबाब पेश किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान में वाद भूमि उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी आवंटन नियमों के अन्तर्गत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। परोकार राज का जबाब व मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल किया गया व वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नहीं की गई एवं प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 126 की 25.00 बीधा व खसरा न0 240 की 19.00 बीधा भूमि वादीगण के पिता तुलछाराम वल्द आदुराम को दिनांक 26.09.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता तुलछाराम वल्द आदुराम के कब्जा काश्त में रही थी एवं वादी के पिता तुलछाराम वल्द आदुराम के देहान्त होने पर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 240 की 25.00 बीधा भूमि वादीगण के पूर्वज आदु वल्द टीकु के सम्वत 2012 से पूर्व से कब्जा काश्त में चली आ रही थी जो लगातार कब्जा काश्त में रहने के बाद आदु वल्द टीकु के पुत्र तुलछाराम वल्द आदुराम को आवंटन की गई थी।

भू-प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 126 की 25.00 बीधा के हाल खसरा न0 1209 की 25.00 बीधा व साबिका खसरा न0 240 की हाल खसरा न0 1277 की 19.00 बीधा भूमि में परिवर्तन/पैमुद किया गया है जो हाल राजस्व

रिकार्ड में हैक्टयर में परिवर्तन कर खसरा न0 1209 की 6.3230हैक् व खसरा न0 1277 की 3.2240 है में पैमुद किये जा चुके है

आदु वल्द टिकु व आवंटित तुलछाराम वल्द आदुराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 है जिनके वादी के पिता तुलछाराम को आवंटित भूमि कब्जा काशत में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में तुलछाराम वल्द आदुराम के वारिस की हैसियत से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के नाम विरास्तन से दर्ज भी हो चुकी है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज चली आ रही है।

रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 126 ,240 की भूमि दिनांक 26.09.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादीगण के पूर्वज आदुराम वल्द टिकु व तुलछाराम वल्द आदुराम के कब्जा काशत में रही है वाद फोटदगी आदुराम व तुलछाराम वल्द आदुराम उसके वारिसान वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज के कब्जा काशत में चली आ रही है

वादी के पिता तुलछाराम को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षों वाद ही वादी के पिता तुलछाराम वल्द आदुराम नियमानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी तुलछाराम के देहान्त होने पर उनके वारिसान वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काशतकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 792/773 के खसरा न0 1209 की 6.3230हैक् व खसरा न0 1277 की 3.2240हैक् भूमि का वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को बतौर खातेदार काशतकार दर्ज करवाने के अधिकारी है

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 792/773 के खसरा न0 1209 की 6.3230हैक् व खसरा न0 1277 की 3.2240हैक् भूमि जो वादी के पिता तुलछाराम वल्द आदुराम को दिनांक 29.09.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता तुलछाराम वल्द आदुराम के नाम व कब्जा काशत में रही थी एवं वादी के पिता तुलछाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है को बतौर खातेदार काशतकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें वादी का वाद डिक्री फरमावें।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बारानी क्षेत्रों में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 126 की 25.00 बीधा खसरा न0 240 की 19.00 बीधा भूमि तुलछाराम वल्द आदुराम जाति खाती साकिन कासर को दिनांक 26.09.1968 को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से पूर्णतया साबित है।

रोही मौजा कानसर की उक्त सम्वत 2012 से पूर्व से ही वादी के पूर्वज आदु वल्द टिकु के कब्जा काशत में चली आ रही थी जो प्रस्तुत जमाबन्दी/गिरदावरीया से पूर्णतया साबित/प्रमाणित होता है

आवंटि तुलछाराम वल्द आदुराम जाति खाती का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी सांख्या 2 ता 9 है जिसके वाद भूमि कब्जा काशत में है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में तुलछाराम वल्द आदुराम के वारिस की हैसियत से विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार दर्ज है उक्त तथ्यों के सम्बध में पेरोकार

राज ने किसी प्रकार को कोई ऐतराज पेश नहीं किया गया है वारिसान की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी होती है।

वाद भूमि वादी के पूर्वज आदुराम वल्द टिकुराम के सम्बत 2012 से पूर्व की कब्जा काशत में होने के कारण आदुराम के पुत्र को कब्जा काशत के आधार पर वाद भूमि आवंटन की गई थी सम्बत 2012 से पूर्व से भूमि आदु वल्द टिकु के कब्जा काशत होना सम्बत 2012 की जमाबन्दी/गिरदावरी से साबित है राजस्थान काशतकारी अधिनियम सन 1955 दिनांक 15.10.1955 को लागु किया गया था की धारा 15 में प्रावधान किया गया था की सम्बत 2012 में जो भूमि जिस काशतकार के कब्जा काशत में थी वह उस भूमि का खातेदार काशतकार हो गया था उक्त प्रावधानों के ताबे भी वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 वाद भूमि का बतौर खातेदार काशतकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

अर्थात वाद भूमि तुलछाराम वल्द आदुराम को वाद भूमि दिनांक 26.09.1968 को आवंटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है आवंटन के समय से आवंटित भूमि पूर्व में वादी के पिता तुलछाराम वल्द आदुराम के कब्जा काशत में थी एवं वादीगण के पिता आवटी तुलछाराम वल्द आदुराम के देहान्त होने पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के कब्जा काशत में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों /पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काशत के सम्बध में परोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

भू0प्रबन्ध विभाग ने पैमाईश हाल में रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 126, 240 जो बहुत बड़ा खसरा था के हाल अन्य खसरों के साथ साबिका खसरा न0 126 के हाल खसरा न0 1209 एव साबिका खसरा न0 240 के हाल खसरा न0 1209 में परिवर्तन एवं पैमुद की गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड में हैक्टयर में परिवर्तन /पैमुद किये जा चुके हैं जो प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से पूर्णतया साबित है।

वादीगण के पिता तुलछाराम को रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 126 , 240 में भूमि आवंटन की गई थी जो हाल खसरा न0 1277 , 1209 में परिवर्तन हो चुकी है अर्थात हाल खसरा न0 1209 ,1277 की भूमि वादीगण के पिता तुलछाराम को दिनांक 29. 09.1968 को आवंटित की गई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता तुलछाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से गैरखातेदारी वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के नाम दर्ज है।

वादीगण के पिता तुलछाराम वल्द आदुराम को रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा 126 ,240 में आवंटित शेष भूमि के खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो चुकी है एव जो उनके वारिसान वादीगण के नाम से बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। परन्तु रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 126 ,240 हाल खसरा नम्बर 1277 की 6.3230 हैक् व खसरा न0 1277 की 3.2240 हैक् भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है जो वादीगण के पिता तुलछाराम को आवंटन की गई भूमि का ही हिस्सा है अर्थात तुलछाराम को आवंटित भूमि है

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसके पूर्वज तुलछाराम वल्द आदुराम को आवंटन दिनांक 26.09.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तों के अनुसार वादी का पिता आवंटन दिनांक 26.09.1968 के तीन वर्ष बाद खातेदार काशतकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काशतकार दर्ज किया जाना था अर्थात आवंटन आदेश में अंकित समस्त भूमि को बतौर खातेदार काशतकार दर्ज किया जाना चाहिये वाद भूमि जो आवंटन की गई भूमि का ही हिस्सा को गैरखातेदार दर्ज कर दिया शेष भूमि को खातेदार काशतकार दर्ज कर दिया जो विधि विरुद्ध है शेष रही वाद भूमि को भी बतौर खातेदार काशतकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

परोकार राज का कथन है कि वादी के पिता को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी के पिता मोहनराम को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते हैं।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में परिपत्र / अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादी इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमों के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारों के लिए अनु० जाति अनु० जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व बीपीएल परिवारों से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :-

“Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment.”

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प-4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते हैं। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनुसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू० राजस्व ( कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन ) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवंटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन क्षेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आवंटियों को अस्थायी खेती पट्टा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

इस प्रकार राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं।

रोही मोजा कानसर के साबिका खसरा न० 126 ,240 की भूमि आदुराम वल्द टिकु के सम्बत 2012 से पूर्व के कब्जा काश्त की भूमि जिसे आदुराम के पुत्र तुलछाराम वल्द आदुराम को दिनांक 26.09.1968 को आवंटन की गई थी


वादी के पिता तुलछाराम वल्द आदुराम जाति खाति साकिन कानसर ( जो अन्य पिछडा वर्ग जाति का सदस्य है ) को रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 126 , 240 हाल खसरा न0 1277, 1209 में भूमि आवंटन दिनांक 26.09.1968 को आवंटन की गई थी आवंटि तुलछाराम के देहान्त होने पर उसके वारिस वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के नाम बतौर गेरखातेदार दर्ज है अर्थात वाद भूमि वादीगण के पिता तुलछाराम को आवंटन नियम 1957/70 के तहत भूमि बारानी क्षेत्र में आवंटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है ।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है ।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी के पूर्वज/पिता तुलछाराम वल्द आदुराम को रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 126 ,240 की भूमि सम्वत 2012 से पूर्व के कब्जा काश्त की भूमि थी जिसे दिनांक 26.09.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय भूमि बारानी क्षेत्र में थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र मे आ चुकी है जो पूर्व में वादी के पूर्वज/पिता एव वर्तमान में वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत दस्तावेजात/मौका रिपोर्ट पटवारी से पूर्णत्या साबित/प्रमाणित होने के कारण राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों अधिसुचनाओं के अधीन वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा कर जमाबन्दी संशोधन करवाने के अधिकारी है ।

अतः वादीगण का वाद साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 792/773 के खसरा न0 1209 की 6.3230हैक व खसरा न0 1277 की 3.2240हैक कुल 9.5470हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/- प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/-प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28/10/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- पंकज गढत्रवाल ( आर.ए.एस )

अनवान :-

1. भागाराम पुत्र तुलछाराम जाति खाती निवासी कानसर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. दलीप पुत्र तुलछाराम जाति खाती निवासी कानसर तहसील नोहर।
3. राजाराम पुत्र तुलछाराम जाति खाती निवासी कानसर तहसील नोहर।
4. शंकरलाल पुत्र तुलछाराम जाति खाती निवासी कानसर तहसील नोहर।
5. प्रमेश्वरी पत्नि तुलछाराम जाति खाती निवासी कानसर तहसील नोहर।
6. बिमला पुत्री तुलछाराम जाति खाती निवासी कानसर तहसील नोहर।
7. सुमित्रा पुत्री तुलछाराम जाति खाती निवासी कानसर तहसील नोहर।
8. सरस्वती पुत्री तुलछाराम जाति खाती निवासी कानसर तहसील नोहर।
9. सोनादेवी पुत्री तुलछाराम जाति खाती निवासी कानसर तहसील नोहर।


तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 933 सन 2024 निर्णय दिनांक - 28/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढत्रवाल उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 792/773 के खसरा न0 1209 की 6. 3230हैक व खसरा न0 1277 की 3.2240हैक कुल 9.5470हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/- प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/-प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )